"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 — चैत्र 8, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 (चैत्र 8, 1938)

क्रमांक-3801/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) जो सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 11 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 138 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 138 में,-

(एक) उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि 31 दिसम्बर, 2016 तक, ऐसे मामलों में जहां अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, उसके द्वारा किये गये स्वनिर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य में नगरपालिक निगम को प्रस्तुत भूमि या भवन के वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारण संबंधी विवरणी में, भूमि/भवन स्वामी द्वारा की गई त्रुटि/चूक के लिए अवसर प्रदान करने हेतु, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 138 की उप-धारा (3) में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 20 मार्च, 2016

अमर अग्रवाल
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 138 की उपधारा (3) का सुसंगत उद्धरण

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर यदि दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिये दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारिति निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करे तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तथा ऐसे मामलों में जहां अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के लिये प्रतिमाह दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुणा के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.